बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-04/2016........................ /पटना, दिनांक.....................

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,

निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन),

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत्यादेश संख्या-2366 दिनांक 28.11.2016 के आलोक में समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के मशीनें एवं उपस्कर मद से वर्षामापक यंत्र के ग्लास क्रय हेतु आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि रु0 9,12,000/-(नौ लाख बारह हजार) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. संलग्न विवरणी के अनुसार राशि मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना, इकाई शीर्ष-52-01-मशीनें एवं उपस्कर मद अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022050101 है।

3. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक -सह-आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

4. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत्यादेश संख्या-2366 दिनांक 28.11.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के मशीने एवं उपस्कर मद से 200 वर्षामापी ग्लास के क्रय हेतु संलग्न विवरणी-1 के अनुसार राशि

की निकासी कर निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

6. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय।
7. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-2794 दिनांक-04.04.2016 एवं पत्रांक-4572, दिनांक 03.06.16 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
8. स्वीकृत्यादेश संख्या-2366, दिनांक- 28.11.2016 के आलोक में बिहार समग्र सांख्यिकी विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही विकलनीय होगा।

विश्वासभाजन
ह०/-
(प्रमोद कुमार वर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक ....20......../पटना, दिनांक ...02/12/16...

प्रतिलिपिः 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक ....20......../पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक ....20......../पटना, दिनांक...02/12/16.......

प्रतिलिपिः 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. संयुक्त निदेशक (योजना)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है किइस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

2/12/16
निदेशक

2/12/16